


उत्तर : तापाल खनाम रक्षे  
प्र.सं. : 64/16 (दाद)

04/04  
2024


पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपरिधत। वकीलवादी ने कायम मुकाम प्रस्तुत करने का अवसर चाँह जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम दिनांक 23/04/2024 को पेश हो।

  
S.D.O

23/04  
2024


पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपरिधत।  
न्यायालय कार्य रचिगत कराने से  
अब पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक  
15/05/2024 को पेश को जावे।  


15/05  
2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपरिधत।  
वकीलवादी ने कायम मुकाम प्रस्तुत करने का अवसर  
चाँह जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कायम  
मुकाम दिनांक 16/06/2024 को पेश हो।  



S.D.O

16/06  
2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपरिधत।  
वकीलवादी ने कायम मुकाम प्रस्तुत करने का अवसर  
चाँह जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कायम  
मुकाम दिनांक 16/07/2024 को पेश हो।  


S.D.O

07/07  
2024

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में  
अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा वादी व वकील वादी  
को न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग  
समय पर आवाज लगावाई गई धातव्य वादी व वकील  
वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में उक्त  
में वादी की ओर से उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी  
स्तर पर अदम धातव्य अदम पेशी में थारिज किया  
जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज रजिस्ट्रर  
से कम की जाकर वामिल वफतर हो।  


उपखण्ड अधिकारी।  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)